

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 118/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकण्ड पलोर, मन उपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.
एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री कमलेश गोगाराम पुत्र गोगाराम

पता :- पट्टा नम्बर 30, बुक नम्बर 10, ग्राम पंचायत आकोडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

एवं 190, बैरवों की मोहल्ला, आकोडा, फुलेरा, जयपुर।

एवं देव गारमेन्ट्स, बैरवों का मोहल्ला, आकोडा, नियर रामेदवजी मंदिर, फुलेरा, जयपुर।

2. श्रीमती गुट्टन देवी पत्नी श्री कमलेश कुमार बैरवा

पता :- पट्टा नम्बर 30, बुक नम्बर 10, ग्राम पंचायत आकोडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

एवं 190, बैरवों की मोहल्ला, आकोडा, फुलेरा, जयपुर।

एवं पटाखा फौकट्री पालवास, आकोडा, फुलेरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



the application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002


उपस्थित:-

1. श्री के. के. सिंह अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक : 16.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.07.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कमलेश कुमार बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 30, बुक नम्बर 10, ग्राम पंचायत आकोडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 162.94 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 4,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय दित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भव्यताति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 22 जनवरी 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 4,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 4,08,099.57/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री कमलेश कुमार वैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 30, बुक नम्बर 10, ग्राम पुरायत आकोडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 162.94 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
 (सिग्नेचर) विशाल
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर